कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस-नोट

दिनांक- 21.11.2024

विषय:- पशु तश्करी में वांछित अभियुक्त थाना रामनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी महोदय द्वारा अपराधों की रोकथाम के मद्देनजर चोरी/लूट की घटनाओ के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के पर्यवेक्षण मे एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली व प्रभारी निरीक्षक रामनगर के नेतृत्व में थाना रामनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0- 180/2024, धारा- 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी से संबंधित वांछित अभियुक्त सुजीत कुंमार विन्द पुत्र सोहन लाल निवासी ग्राम कठौरी पोस्ट लौदा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली उम्र-19 वर्ष को दिनांक 21.11.2024 को लंका मैदान जाने वाले रोड़ के किनारे गुमटी के पीछे थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी से गिरफ्तार किया गया । उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना रामनगर पुलिस द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान- दिनांक- 21/11/2024, स्थान- लंका मैदान जाने वाले रोड के किनारे गुमटी के पीछे थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।

अभियुक्त का विवरण-

1. सुजीत कुंमार विन्द पुत्र सोहन लाल निवासी ग्राम कठौरी पोस्ट लौदा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली उम्र 19 वर्ष।

अभियुक्त से पूछताछ का विवरण- सुजीत कुंमार विन्द पुत्र सोहन लाल निवासी ग्राम कठौरी पोस्ट लौदा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली उम्र 19 वर्ष पूछने पर बताया कि मैने यह मैजिक रंजीत कुमार बिन्द से खरीदा था मेरी गाड़ी चल नही रही थी मैं एक व्यक्ति जो मेरा मित्र है उसी के कहने पर और उसके साथ मिलकर हम दोनों ने घूमन्तू पशु को लादे और मैं बिहार बेचने के लिए ले जा रहा था कि पुलिस वालों ने गाड़ी रोक लिया और उस समय मैं रात का फायदा उठाकर मौके से भाग गया था कि आज आप लोगों ने पकड़ लिया।

बरामदगी का विवरण- पूर्व में अभियुक्त जिस मैजिक वाहन संख्या को चला रहा था उसमें से 01 राशि गाय व 02 राशि बैल कुल 03 राशि गोवंश व घटना में प्रयुक्त मैजिक वाहन संख्या UP65BT2150 बरामद हुआ था।

पंजीकृत अभियोग का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 27/09/2024 को वादी मुकदमा के लिखित फर्द के आधार पर घटना में प्रयुक्त मैजिक वाहन संख्या UP65BT2150 पर कुल 03 राशि गोवंशीय पशु बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-0180/2024 धारा 3 / 5ए / 5बी / 8 गोवध निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया।

आपराधिक इतिहास का विवरण-

1. मु0अ0सं0 0217/2023, धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना अदलहाट जनपद मिर्जापुर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजू सिंह थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 श्री सुधीर कुमार यादव थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी ।
3. हे0का0 राकेश कुमार सिंह थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
4. का0 गंगा प्रसाद वर्मा थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त काशी जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।